न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी : अर्पिता सोनी (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2023 / 21 **दायर दिनांक 20.06.2023**

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान) **–सायल–**

बनाम

सीताराम उर्फ डेणिया पुत्र राजकरण जाति नाई उम्र 33 साल निवासी वार्ड नम्बर 20, भैरदान जी के कुआं के पास कस्बा सरदारशहर पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरू। **–गैरसायल–**

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :–

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल**
2. **गैरसायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।**

निर्णय **दिनांक : .03.2025**

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल सीताराम उर्फ डेणिया पुत्र राजकरण जाति नाई उम्र 33 साल निवासी वार्ड नम्बर 20, भैरदान जी के कुआं के पास कस्बा सरदारशहर जिला चूरू का रहने वाला है जो अवैध सट्टा खाईवाली करने का आदी है एवं आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जो सार्वजनिक स्थान पर सरेआम अवैध शराब बेचकर व सट्टा की खाईवाली कर गरीब तबके के लोगों को लालच देकर उनका आर्थिक शोषण करता है व नशे का आदी बनाता है, जिससे समाज में लगातार अनेक अपराधों को बढ़ावा मिलता है। इसकी आपराधिक गतिविधियां काफी है, मगर पुलिस की नजरों से बचने का प्रयास करता रहता है, जिस कारण कई बार पकड़ में नहीं आता है। गैर सायल की बढ़ती हुई गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना जरूरी है। गैरसायल सीताराम उर्फ डेणिया निम्नांकित मुकदमों में सजायाब हुआ है:–

क.स.	मुकदमा न0 एवं दिनांक	जुर्म धारा	नाम थाना	चालान दिनांक	फैसला अदालत
1.	143 / 2010	452, 341, 323, 427, 34 भादस	पुलिस थाना सरदारशहर	06.09.2010	दोषमुक्त 25.01.2018
2	490 / 2017	13 आरपीजीओ	पुलिस थाना सरदारशहर	23.02.2018	सजा 25.02.2018
3.	203 / 2018	13 आरपीजीओ	पुलिस थाना सरदारशहर	25.05.2018	सजा 25.05.2018
4.	352 / 2019	13 आरपीजीओ	पुलिस थाना सरदारशहर	23.10.2019	सजा 23.10.2019
5.	601 / 2021	13 आरपीजीओ	पुलिस थाना सरदारशहर	30.11.2022	जैर ट्रायल
6.	21 / 2022	13 आरपीजीओ	पुलिस थाना सरदारशहर	11.01.2023	जैर ट्रायल
7.	33 / 2022	13 आरपीजीओ	पुलिस थाना सरदारशहर	19.01.2023	जैर ट्रायल
8.	479 / 2022	13 आरपीजीओ	पुलिस थाना सरदारशहर	चार्जशीट न. 238 / 23.08.2022	चालान पेश करना शेष
9.	701 / 2022	13 आरपीजीओ	पुलिस थाना सरदारशहर	चार्जशीट न. 395 / 30.12.2022	चालान पेश करना शेष

इस प्रकार से गैर सायल फारूख की आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं एवं गरीब तबके के लोग अपनी सम्पति की सुरक्षा के बारे में आशंकित हैं। जिला पुलिस अधीक्षक चूरू ने गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निवेदन किया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं आए इसलिए गैरसायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पैरोकार राज सहायक लोक अभियोजक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पैरोकार राज सहायक लोक अभियोजक चूरू ने बहस में कहा कि गैरसायल को 08 बार, 13 RPGO के अन्तर्गत दोष सिद्ध किया गया है। गैर सायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

पैरोकार राज सहायक लोक अभियोजक चूरू की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 08 बार, 13 RPGO के अन्तर्गत दण्डित किया जा चुका है। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल सीताराम उर्फ डेणिया पुत्र राजकरण जाति नाई उम्र 33 साल निवासी वार्ड नम्बर 20, भैरदान जी के कुआं के पास कस्बा सरदारशहर पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए जिले से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना सरदारशहर गैरसायल को थानाधिकारी पुलिस थाना श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना सरदारशहर व थानाधिकारी पुलिस थाना श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक .03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजि0 चूरू (राज.)